(133)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2259–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 248/2004–05/अपील.

1– वायजू राजा बेवा रघुवीर सिंह (मृतक) द्वारा वारिसान–
लोकपाल सिंह पिता स्व. रघुवीर सिंह
निवासी ग्राम चिराई, तहसील नरवर
2– पहलवान सिंह
3– जगदीश सिंह
4– जयेन्द्र सिंह
5– भगवान सिंह
पुत्रगण रघुवीर सिंह
6– लड़कुंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
निवासीगण ग्राम चिराई
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
7– नन्नूराजा फौत वारिसान–
(1) रविभान प्रताप सिंह
(2) शशिभान सिंह
(3) जयभान प्रताप सिंह
निवासीगण ग्राम सिमाऊ
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
8– गुड्डी राजा पुत्री मॉ बड़ी राजा
पुत्री चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम सिमाऊ
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

पूरनजू पुत्र सूवाजी (मृतक) वारिसान–
(1) रज्जू राजा पत्नी स्व. पूरनजू
(2) राजेन्द्र सिंह
(3) राजा भैया
(4) सिरोमन सिंह
(5) बृजेन्द्र सिंह
पुत्रगण स्व. पूरनजू
निवासीगण ग्राम कैरूआ
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/1/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के पूर्वज सूवाजू द्वारा तहसील न्यायालय भितरवार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष अवधि बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–4–05 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–8–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि में मान्य करते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक दिनांक 28–6–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 11–3–2003 को लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब का कोई समाधान कारक कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया था, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रामि अपील 67 दिवस पश्चात प्रस्तुत की गई है, और प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु 45 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । इस प्रकार मात्र 22 दिवस विलम्ब के आधार पर अनावेदकगण को न्याय से वंचित किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर